	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2020

संख्या प. 4(39)कृषि/ग्रुप-2/2019 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वर्तमान कृषि उपज मण्डी समिति, अकलेरा के क्षेत्र से पंचायत समिति, मनोहरथाना की 26 ग्राम पंचायत आवलहेड़ा, बनेठ, बांसखेड़ी मेवातियान, बांसखेड़ी, बड़बद, चन्दीपुर, चांदपुरा भीलान, दांगीपुरा, गरबोलिया, जावर, कामखेड़ा, खाताखेड़ी, कोलूखेड़ा कंला, खेरखेड़ा, कोलूखेड़ी मालियान, मनोहरथाना, मनपसर, पिण्डोला, रवास्या, समरोल, सरेडी, सेमलीहाट, शोरती, ठीकरिया, टोडरी जगन्नाथ, टोडरी मीरा, के क्षेत्र को पृथक् कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, मनोहरथाना के नाम से स्थापित करने के आश्य की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति अथवा सुझाव पर जो इस अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाश्न की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुंचेंगे, राज्य सरकार द्वारा इन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार विमर्ष किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लाल चन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव।

5550

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।